-5-

अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

उपायुक्त का न्यायालय, गुमला

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

समीदा खातुन वगै0
बनाम
सरकार

आदेश फलक तारीख............से..............तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :– **04/2018–19**

वाद का प्रकार :– विविध अपील (Miscellaneous Appeal)

यह अपील वाद माननीय झारखंड उच्च न्यायालय राँची के W.P© No. 1240/2018 में पारित आदेश के आलोक में अपीलार्थी श्रीमती समीदा खातुन पति–खुर्शीद आलम अध्यक्ष सौदागर स्वंय सहायता समुह सिसई 2. श्रीमती शबाना खातुन पति सोयब अंसारी, सचिव सौदागर स्वंय सहायता समुह सिसई एवं श्रीमती रजिया खातुन पति समसुल हक कोषाध्यक्ष सौदागर स्वंय सहायता समुह सिसई सभी ग्राम रहमत नगर पो0 वो थाना सिसई जिला– गुमला के द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला के आदेश ज्ञापांक 88 (ii) खाद्य दिनांक 24.04.2018 के जिसमें उनके जन वितरण प्रणाली दूकान की अनुज्ञप्ति सं0 – 01/2011 को रद्द किया गया है, उससे विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में अपील दायर किया गया है।

अपील सुनवाई हेतु स्वीकृत करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुमला से विषयगत मामला में तथ्यात्मक प्रतिवेदन की माँग की गई। उनके कार्यालय पत्रांक – 73(i), खाद्य दिनांक – 27.07.2019 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। तद्नुसार, अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता एवं सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक, गुमला द्वारा न्यायलय में नियमानुसार अपने–अपने पक्षों का प्रस्तुतीकरण किया गया।

अपीलार्थी का पक्ष

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला के द्वारा ज्ञापांक – 1186(ii)/खाद्य दिनांक – 27.11.2017 के द्वारा कारण–पृच्छा की माँग की गई, जिसके अनुपालन में अपीलार्थी के द्वारा दिनांक – 05.12.2017 को प्रत्युत्तर समर्पित किया गया।

विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी के विरूद्ध लगाए गए आरोप सत्य नहीं है, क्योंकि मार्च, 2017 से गेहूँ की आपूर्ति नहीं की गई थी जिस कारण उठाव नहीं हो सका। उनका यह भी कहना है कि नवम्बर माह में खाद्यान वितरण नहीं किया गया था जिसके कारण राशन कार्ड पर प्रविष्ठि नहीं की गई। इस प्रकार जांच पदाधिकारी द्वारा लगाये गये आरोप सत्य नहीं है। निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न का वितरण किसी भी लाभुक को किया गया है, यह आरोप भी सत्य से परे है। उनका यह भी कहना है कि किसी भी कार्डधारी से कठोर व्यवहार सौदागर स्वंय सहायता समूह द्वारा नहीं किया गया है। सौदागर स्वंय सहायता समूह द्वारा अपने कारण पृच्छा में यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि हमारी दूकान ईमानदारी पूर्वक नियमानुकूल कार्य करेगी तथा भविष्य में शिकायत का मौका नहीं देगी।

उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि दुकान का निलंबन वापस लेते हुए आरोप से मुक्त करने की कृपा की जाय।

सहायक लोक अभियोजक, गुमला द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अधिसूचना के अनुसार विहित प्राधिकारी द्वारा विषयगत मामले में विधि अनुसार उचित आदेश पारित किया गया है।

अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सौदागर स्वंय सहायता समूह लकेया सिसई का प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सिसई से प्राप्त जांच प्रतिवेदन जिसमे खाद्यान का उठाव कर प्रतिमाह वितरण नहीं करना,राशन कार्ड में बिना खाद्यान दिए ही वितरण कर प्रविष्ठि कर देना निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न का वितरण करना तथा कार्डधारियों से कठोर व्यवहार करना के आरोप में निलंबित करते हुए विवेचित अनियमतिताओं के लिए स्पष्टीकरण माँगा गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं मानते हुए जिला आपूर्तिं पदाधिकारी, गुमला के द्वारा दिनांक – 24.01.2018 को अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया।

Scanned with CamScanner

अपीलार्थी के उपरोक्त विवेचित तथ्यों, सहायक लोक अभियोजक, गुमला के वैधिक मंतव्य एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला से माँगा गया तथ्यात्मक प्रतिवेदन के सम्यक अवलोकन व समीक्षोपरांत ज्ञात होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध कोई गंभीर आरोप नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलर्थी के अनुज्ञप्ति को पुर्नबहाल करना यथोचित प्रतीत होता है। तथापि, उनके द्वारा खाद्यान का उठाव कर प्रतिमाह वितरण नहीं करना,राशन कार्ड में बिना खाद्यान दिए ही वितरण कर प्रविष्ठि कर देना, निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न का वितरण करना तथा कार्डधारियों से कठोर व्यवहार करना उनके कार्य प्रति लापरवाही को प्रदर्षित करता है। अतः इस चेतावनी के साथ अपील स्वीकृत किया जाता है कि Essential Commodities का भुगतान संबंधित कार्डधारियों को किया जाय एवं भविष्य में अपीलार्थी के द्वारा Bihar Trade Article (License Unification Order,1984) के अनुसार जन वितरण प्रणाली दूकान के संचालन में किसी प्रकार का शिथिलता या, लापरवाही बरतने अथवा, उक्त आदेश के शर्त्तो का उल्लघंन किए जाने पर सक्षम प्राधिकारी झारखंड लक्ष्य जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2017 में निहित प्रावधानानुसार अनुज्ञप्ति नियमानुसार रद्द करने हेतु प्राधिकृत होंगे।

कार्यालय को निदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला को उपलब्ध करा दें।

लेखापित एवं संशोधित,

ह0 28/1/19

उपायुक्त,
गुमला

ह0 28/1/19

उपायुक्त,
गुमला